बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 25.06.2015

बिहार विधान परिषद् स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन, 2015 में अभ्यर्थियों के द्वारा प्रचार के दौरान किये जा रहे व्यय की निगरानी हेतु सभी जिलों में प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 Flying Squad का गठन किया गया है। Flying Squad के द्वारा किसी भी प्रकार के अघोषित नगद राशि के हस्तांतरण अथवा वितरण की सूचना प्राप्त होते ही उसकी विधिवत् तलाशी ली जायेगी तथा इसके श्रोत की अस्पष्टता होने तथा प्रलोभन हेतु इसका इस्तेमाल किये जाने की संभावना की स्थिति में राशि की जब्ती एवं मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए उपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

यदि तलाशी के दौरान पायी गयी राशि पचास हजार रूपये या उससे कम होगी तो उस स्थिति में राशि को जब्त नहीं किया जायेगा परंतु इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी अनिवार्य रूप से दर्ज करायी जायेगी।

किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो राशि नगद के रूप में ले जायी जा रही है उसके श्रोत/उद्देश्य से संबंधित सभी कागजात साथ में होना आवश्यक है ताकि Flying Squad के द्वारा जाँच किये जाने पर उनको इस बात के लिए संतुष्ट किया जा सके कि साथ की धनराशि का उपयोग मतदाताओं को अनुचित तरीके से लुभाने के लिए नहीं है।

प्रत्येक जिलों में अभ्यर्थियों द्वारा किये जा रहे व्यय पर निगरानी के लिए अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है तथा उसके सफल संचालन के लिए एक नोडल पदाधिकारी नामित किये गये हैं। सभी जिलों को इस कोषांग के लिए एक टॉल फ्री दूरभाष संख्या उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सभी जिलों को इस दूरभाष संख्या का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का भी निदेश दिया गया है।

अभ्यर्थियों के व्यय के अनुश्रवण हेतु पुलिस तथा आयकर विभाग की ओर से भी नोडल पदाधिकारी नामित किये गये हैं। आयकर विभाग को अलग से शिकायत दर्ज कराने हेतु एक टॉल फ्री दूरभाष संख्या प्राप्त कर उसे प्रचारित करने का निदेश दिया गया है। उन्हें अघोषित सम्पत्ति एवं काले धन के उपयोग को रोकने हेतु सभी हवाई अड्डों, मुख्य रेलवे स्टेशन, होटल तथा नगदी का परिचालन करने वाले कुरियर सेवाओं पर विशेष निगरानी रखने हेतु भी निदेश दिया गया है।